"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2010—कार्तिक 21, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. एफ -1-14/18/2010.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत मारो, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड
		02	सतनाम वार्ड
		14	मिनीमाता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	गुरु घासीदास वार्ड
		11	संत अमरदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	09	पं. दीनदयाल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	-	-
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	बजरंग वार्ड
		12	गुरुनानक वार्ड
		13	बूढ़ादेव वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	मौलीमाता वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	रानी सागर वार्ड
		08	परशुराम वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ -1-14/18/2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-14/18/2010 दिनांक 12-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

Raipur, the 12th November 2010

NOTIFICATION

No. F-1-14/18/2010 .— The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Maro, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	01	Baba Saheb Ambedkar Ward
		02	Satnam Ward
		14	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Guru Ghasidas Ward
		11	Sant Amardas Ward
3.	Scheduled Tribes	9	Pt. Deendayal Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	-
5.	Other Backward Class	07 12 13	Bajrang Ward Gurunanak Ward Budhadev Ward
6.	Other Backward Class (Female)	15	Moulimata Ward
7.	Female	06 08	Rani Sagar Ward Parshuram Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.